

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा बाड़ी धौलपुर बनाम साजिद

किस्म मुकदमा:—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी. एक्ट 2002

मु0 नम्बर ...55... सन् 2019

RCMS No. 2019/00095

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
24.12.19	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी अशोक कुमार पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़ी धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता साजिद पुत्र श्री शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सन्तराज पाड़ा शेरगली बाड़ी जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 23.02.2017 को रुपये 7,00,000/- का सी0सी0 ऋण एवं 7,00,000/- का टी0एल0 ऋण कुल रुपये 14,00,000/- मात्र राशि का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:— मकान मोहल्ला हवेली पाड़ा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका एरिया 97.54 वर्गमीटर है। जो कि श्री साजिद पुत्र श्री शमशुद्दीन के नाम से है। जिसके हददअरबा निम्न प्रकार है:— उत्तर दिशा में मकान चबूतरा और रघुवीर बगैरा का मकान है। पश्चिम दिशा में शंकर का मकान है। पूर्व दिशा में मनिका प्लॉट है तथा दक्षिण दिशा में रामचरन जाटव का मकान है, ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 29.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 05.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 12,14,218/- दिनांक 29.07.2019 तक एव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत</p>	<p>809-811 24/12/19</p>

(आरो के जज/जज (कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर)

निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी मकान मोहल्ला हवेली पाड़ा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका एरिया 97.54 वर्गमीटर है। जो कि श्री साजिद पुत्र श्री शमशुद्दीन के नाम से है। जिसके हददअरबा निम्न प्रकार है:- उत्तर दिशा में मकान चबूतरा और रघुवीर बगैरा का मकान है। पश्चिम दिशा में शंकर का मकान है। पूर्व दिशा में मनिका प्लॉट है तथा दक्षिण दिशा में रामचरन जाटव का मकान है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश कुंठार जायसवाल)  
जिला कलक्टर एवं सिविल जज  
धौलपुर